



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124844

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 18079 वर्ष 2026

प्रवीण सिंह उर्फ गोलू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: अजीत कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिंह और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना रसड़ा, जिला बलिया से संबंधित वाद अपराध संख्या- 445 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा- 103(1), 3(5), 115(2), 351(3) बी.एन.एस. में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने अपने दो अन्य अज्ञात मित्रों के साथ मिलकर मृतक पर उस समय हमला किया जब वह अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। इसके पश्चात, मृतक के पुत्र अभिषेक का धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान भी दर्ज किया गया, जिसने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताया और सह-अभियुक्त मंजीत व संदीप के विरुद्ध मृतक पर गोली चलाने का विशिष्ट आरोप लगाया, तत्पश्चात पुलिस ने मंजीत और संदीप को गिरफ्तार भी कर लिया और उनकी निशानदेही पर देशी तमंचे भी बरामद हुए, जबकि आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्शाती है कि मृतक को आग्नेयास्त्र से चोटें आई हैं, जो विशिष्ट रूप से सह-अभियुक्त मंजीत और संदीप को सौंपी गई हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक की निशानदेही पर किसी हथियार की बरामदगी नहीं हुई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने साथ संलग्न शपथपत्र में एक मामले के आपराधिक इतिहास का उल्लेख किया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक दिनांक 26.12.2025 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, परंतु वे उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ व विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को संज्ञान में लेते हुए, साथ ही जमानत देने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कपिल वधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, **2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में पारित निर्णय के अधिदेश और इस न्यायालय द्वारा माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, **2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** में दिए गए दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- प्रवीण सिंह उर्फ गोलू को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को कारित करने में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

9. आवेदक के साथ-साथ प्रतिभुओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

10. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या **4 वर्ष 2021, (2024) 10 एससी 685** जो **31.01.2023** को निर्णीत हुआ, के साथ साथ पिला पाहन उर्फ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या **169 वर्ष 2025**, जो दिनांक **29.05.2026** को निर्णीत हुआ, के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति मऊ कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजी जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

3 जून, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"